96

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1383–तीन/03 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–6–03 पारित द्वारा अपर कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक 461/बी–121/1997–98.

———

ओंकार प्रसाद अग्रवाल
आत्मज श्री दुलीचंद अग्रवाल
निवासी ग्राम सरसवां, हाल मुकाम
कोतवाली वार्ड, जबलपुर ——— आवेदक

विरूद्ध

1– झगडू आत्मज नन्हेलाल पटेल,
निवासी ग्राम सरसवां पटवारी हल्का नं. 15,
तहसील व जिला जबलपुर
2– मध्य प्रदेश शासन ——— अनावेदकगण

———

आवेदक – स्वयं उपस्थित ।
अनावेदक कमांक–1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष शुक्ला,

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 9-2-2017 को पारित)

———

यह निगरानी अपर कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 461/बी–121/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 18–6–03 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक को नायब तहसीलदार, पनागर द्वारा ग्राम सरसवां स्थित भूमि खसरा नं. 138/1 रकबा 1.619 हैक्टर भूमि पर म0प्र0 कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही दखल

रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम, 1984 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 11–1–91 द्वारा किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर ने निगरानी स्वीकार कर नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण गुणदोषों पर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 16–6–1997 के द्वारा स्वीकार की । अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक कं. 1 ने अपर आयुक्त के समक्ष पुनरावलोकन आवेदन पेश किया जो अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 18–6–2003 द्वारा स्वीकार किया गया है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विवादित भूमि पर आवेदक का वर्ष 1983 के पूर्व से कब्जा चला आ रहा है । आवेदक पर प्र0क0 173/अ–68/80–81 में दिनांक 7–7–83 को 50/– रूपये जुर्माना भी हुआ था उसके बाद नायब तहसीलदार, पनागर ने आदेश दिनांक 11–1–91 द्वारा आवेदक को शासकीय पट्टा प्रदान किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक को सूचना दिए बिना आदेश पारित किया गया जो नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है अतः अपर आयुक्त ने आवेदक के पक्ष में 16–6–97 को जो आदेश पारित किया था वह विधिसम्मत था, जिसे अपर आयुक्त ने पुनरावलोकन में आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

यह तर्क दिया गया कि संहिता की धारा 51 के प्रावधानों के तहत आयुक्त/अपर आयुक्त द्वारा पूर्ववर्ती पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश का पुनरावलोकन किया जाता है तब उन्हें राजस्व मंडल से अनुमति लेना आवश्यक है, जबकि इस प्रकरण में कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है । अतः आलोच्य आदेश अवैध होने से निरस्ती योग्य है ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा नाबय तहसीलदार के समक्ष कोई आपत्ति नहीं की गई थी तथा प्रकरण में पक्षकार बनने के लिए कोई आवेदन भी नहीं दिया गया था, इसलिए अपर कलेक्टरं के समक्ष निगरानी पेश करने का उसे कोई अधिकार नहीं था ।

यह तर्क दिया गया है कि विवादित भूमि बंदोवस्त अधिकारी द्वारा बंदोवस्त के दौरान आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापित की गई है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में ऐसा कोई आधार नहीं दिया गया है कि उनका पूर्व का आदेश तथा तहसील न्यायालय का आदेश क्योंकर गलत है । उक्त आधारों पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेशको निरस्त कर उनके पूर्व के आदेश को तथा तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 30–द के अनुसार भूमि आवंटन के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के बाद पुनः निगरानी पेश नहीं की जा सकती, क्योंकि तीसरी निगरानी वर्जित है । यदि आवेदक पीड़ित है तो वह राज्य शासन को अभ्यावेदन पेश कर सकता है ।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए एकपक्षीय आदेश दिया गया था, इसलिए उनके द्वारा पुनरावलोकन आवेदन दिया गया, जिस पर अपर आयुक्त ने दोनों पक्षों को सुनकर आदेश पारित किया जाकर अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदक मिलौनीगंज जबलपुर में निवास करता है उसके द्वारा सरसवां जो कि पनागर तहसील में आता है में पहले फर्जी तरीके से वृक्षारोपण का पट्टा जारी कराया गया, जबकि उसके द्वारा कोई वृक्ष नहीं लगाए गए और न जमीन पर काश्त किया और इसके बाद में इसी जमीन का नायब तहसीलदार से फर्जी तरीके से पट्टा बनवाया गया है जबकि आवेदक को किसी भी तरह की पात्रता नहीं है । इस संबंध में अपर कलेक्टर ने अपकने

आदेश में जांच कर निष्कर्ष निकाले हैं । उक्त आधारों पर अनावेदक कं0 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन पर म0प्र0 कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम, 1984 के तहत किया गया है नाकि राजस्व पुस्तक प्रावधानों के तहत ऐसी स्थिति अनावेदक कमांक 1 के अधिवक्ता का यह तर्क कि तृतीय निगरानी इस न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं है, मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

6/ अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि आलोच्य पुनरावलोकन में प्रकरण में आदेश अपर आयुक्त श्री विनोद कटेला द्वारा दिनांक 18–6–03 को पारित किया गया है जबकि मूल प्रकरण में आदेश दिनांक 16–6–97 को किसी अन्य अपर आयुक्त द्वारा पारित किया गया था । संहिता की धारा 51 (1) (एक) में स्पष्ट प्रावधान है कि आयुक्त, बंदोवस्त आयुक्त, कलेक्टर या बंदोवस्त अधिकारी किसी ऐसे आदेश का जो उसने स्वयं पारित न किया हो, पुनरावलोकन करना आवश्यक समझता है तब उसे पुनरावलोकन करने के लिए राजस्व मंडल की अनुमति लेना आवश्यक है । परंतु इस प्रकरण में राजस्व मंडल से अनुमति लिया जाना परिलक्षित नहीं होता है ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी.

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती.

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

उपरोक्त आधारों में से ऐसा कोई आधार अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में नहीं दर्शाया गया है जो पुनरावलोकन का आधार हो । इससे स्पष्ट है कि अपर

आयुक्त द्वारा बिना किसी ठोस आधार के मूल आदेश में हस्तक्षेप किया गया है । यहां यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि मूल आदेश में निकाले गये निष्कर्ष पुनरावलोकन के लिए आधार नहीं हो सकते हैं जबकि इस प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा अपने ही निष्कर्ष परिवर्तित किये गये हैं । दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा पुनरावलोकन में पारित आलोच्य आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पुनरावलोकन प्र0क0 461/बी–121/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 18–6–2003 निरस्त किया जाता है तथा अपर आयुक्त द्वारा ही अपील प्र0क0 192/अ–2/96–97 में पारित आदेश दिनांक 16–6–1997 स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर